"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 7 सितम्बर 2017 —— भाद्रपद 16, शक 1939

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–70/2017/वा.कर(आब.)/पांच (119). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 18क तथा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (छ) और (ज) तथा उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ आबकारी देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम, 2017 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों :–

   (1) नियम 10 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाता है, अर्थात्

   "परन्तु कानून–व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय दोपहर 12.00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् 11.00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 9.00 बजे के एक घंटे पश्चात् अर्थात् रात्रि 10.00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा।"

2. उक्त संशोधन दिनांक 01–09–2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 1 सितम्बर 2017

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–70/2017/वा.कर(आब.)/पांच (120). —— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (3) के परन्तुक के साथ पठित उप–धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त समर्थ बनाने वाली अन्य समस्त शक्तियों के अधिसूचना क्रमांक–14–पांच–पृ.आ., दिनांक 7 जनवरी 1960 के अधीन प्रकाशित आबकारी नियमों में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक–8 के उप–नियम (2–क) के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाता है, अर्थात् :–

"ऐसी दुकानें जिनकी अनुज्ञप्ति प्रारूप एफ.एल.–1, एफ.एल.–1कक, एफ.एल.–1ख, एफ.एल.–1अ, एफ.एल.–1घ, एफ.एल.–1(घघ), सी.एस.–2, सी, एस,–2क, सी.एस.2घ, सी.एस.2(घघ), सी. एस.–2(ङ.) तथा सी.एस. 3 में है, को कानून–व्यवस्था संधारित करने की दृष्टि से जिला कलेक्टर आवश्यकता के अनुरूप मदिरा दुकान खुलने के निर्धारित समय दोपहर 12.00 बजे के एक घंटे पूर्व अर्थात् 11.00 बजे तथा बंद किये जाने के निर्धारित समय रात्रि 9.00 बजे के एक घंटे पश्चात् अर्थात् रात्रि 10.00 बजे तक दुकान खुली रखने का आदेश जारी कर सकेगा।"

2. उक्त संशोधन दिनांक 01–09–2017 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2017.